

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 224 / 2013
 संस्थापित दिनांक 24 / 04 / 2013
 फाइलिंग नंबर 230303010952013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र छोटे सिंह प्रजापति उम्र
 50 वर्ष निवासी ज्वालापुरा मौजा कुटवार
 थाना माता वसैया जिला मुरैना म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-25(1)(1-ख) आयुध अधिनियम)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री बी.एस.गुर्जर।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 03/04/17 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 09/04/13 को 13:50 बजे ग्वालियर भिण्ड रोड ग्राम डांग के मोड़ के पास सार्वजनिक स्थल पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकर की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09/04/13 को पुलिस थाना गोहद चौराहा के ए.एस.आई. ए.एस.तोमर, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह के साथ इलाका गश्त पर रवाना हुआ था। दौराने गश्त उसे जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राम डांग की मोड़ के पास अवैध छुरी लिये हुये खड़ा है एवं कोई घटना करने की फिराक में है। सूचना की तजदीक हेतु वह मौके पर पहुंचा था तो ग्राम डांग की मोड़ के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया था जिसे पकड़कर नाम पता पूछा था तो उसके अपना नाम शिवसिंह बताया था। तलाशी लिये जाने पर उसके पजामे की बांयी कमर में एक लोहे की छुरी मिली थी। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। आरोपी से उसने मौके पर ही छुरी जप्त कर जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात् थाना वापस आकर उसे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 80/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया।

आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09/04/13 को 13:50 बजे ग्राम डांग की मोड़ के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर सार्वजनिक स्थल पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकर की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से जप्तीकर्ता ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.2, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 एवं बंटी गुर्जर अ.सा.4 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 09/04/13 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी थी कि ग्राम डांग के पास हाइवे रोड पर एक व्यक्ति लोहे की छुरी लिये हुये कोई संगीन घटना करने की नियत से खड़ा है। सूचना की तजदीक हेतु वह प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह को लेकर ग्राम डांग के मोड़ पर पहुंचा था तो वहां खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर इधर-उधर भागने का प्रयास करने लगा था उसे पकड़कर नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शिवसिंह बताया था। तलाशी लिये जाने पर उसके पजामे में बांयी तरफ कमर में एक लोहे की छुरी निकली थी। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। आरोपी से उसने मौके पर ही साक्षी प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह एवं बंटी गुर्जर के समक्ष छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा रोजनामचे में रवानगी एवं वापसी इंद्राज की गयी थी। रवानगी सान्हा प्रदर्श पी 4 एवं वापसी प्रदर्श पी 5 है जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए1 की छुरी वही छुरी है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह थाने से 12 बजे निकला था उसके साथ प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह भी था वह दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पद क्र. 4 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने 14 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी बंटी गुर्जर मौके पर ही आ गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए1

पर थाने की शील नहीं लगी है। पद क्र. 5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वापसी के रोजनामचा सान्हा में दिन एवं दिनांक का कॉलम खाली है।

9. प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 द्वारा भी जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को अशोक सिंह तोमर के साथ घटना स्थल पर जाने एवं आरोपी से छुरी जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया गया है।

10. साक्षी बंटी गुर्जर अ.सा.4 जिसे जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी शिवसिंह को नहीं जानता है पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त साक्षी ने मात्र जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 के क्रमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

11. साक्षी प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.2 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। परीक्षित साक्षीगण के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसे मुखबिर द्वारा आरोपी के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी थी तो वह प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह के साथ घटनास्थल पर ग्राम डांग के मोड़ पर पहुंचा था जहां उसने आरोपी शिवसिंह से लोहे की छुरी जप्त की थी। प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 द्वारा भी अशोक सिंह तोमर अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को अशोक सिंह तोमर के साथ घटना स्थल ग्राम डांग पर जाने एवं आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है, परंतु उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा मूल रोजनामचा सान्हा न्यायालय में प्रदर्शित नहीं कराया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि अभियोजन द्वारा उक्त संबंध में रोजनामचा की प्रति प्रदर्श पी 4 एवं प्रदर्श पी 5 को प्रकरण में प्रदर्शित कराया गया है, परंतु अभियोजन द्वारा मूल रोजनामचा साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोजनामचा खानगी एवं वापसी क्रमांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को मूल रोजनामचा साक्ष्य में प्रदर्शित कराना चाहिए था, परंतु अभियोजन द्वारा मूल रोजनामचा साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया गया है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

14. जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि मौके पर तलाशी लेने पर उसने आरोपी शिवसिंह के पजामे की बांयी तरफ कमर से एक लोहे की छुरी जप्त की थी जबकि प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 जो कि जप्ती का साक्षी है ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपी छुरी अपने हाथ में लिये हुये था। इस प्रकार अशोक सिंह तोमर अ.सा. 1 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी छुरी अपने पजामे के अंदर खुर्से हुये था, जबकि वीरेन्द्र सिंह अ. सा.3 का कहना है कि आरोपी छुरी अपने हाथ में लिये हुये था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर ए.एस.आई.

अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 के कथन परस्पर विरोधाभाषी है। ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया था, जबकि प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 का कहना है कि आरोपी अपने हाथ में छुरी लिये खड़ा था और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया था। वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी ने भागने का प्रयास किया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 एवं वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्विक है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

15. ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.3 ने अपने कथन में आरोपी से छुरी जप्त करना तो बताया है, परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा जप्तशुदा छुरी के आकार-प्रकार एवं पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 द्वारा जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि मौके पर जप्तशुदा छुरी को कपड़े में शील किया गया था, परंतु यह बात स्वयं जप्तीकर्ता ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 द्वारा नहीं बतायी गयी है। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने का उल्लेख नहीं है। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 में नमूना शील भी अंकित नहीं है। जप्तीकर्ता ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 ने भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

16. ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 ने अपने कथन में साक्षी वीरेन्द्र सिंह एवं बंटी गुर्जर के समक्ष आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है, परंतु साक्षी बंटी गुर्जर अ.सा.4 द्वारा जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार कथित जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी बंटी गुर्जर अ.सा.4 द्वारा भी जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। शेष साक्षी ए.एस.आई. अशोक सिंह तोमर अ.सा.1 एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के कथन तात्विक बिंदुओं से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

18. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 09/04/13 को 13:50 बजे ग्वालियर भिण्ड रोड ग्राम डांग के मोड़ के पास सार्वजनिक स्थल पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकर की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी शिवसिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

20. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
21. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 03/04/2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन में टंकित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रति
कीय / विधिक उपयोग हेतु